अधिसूचना अंतर्गत म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915

अधिसूचना क्रमांक 2467 -पांच-पृ० आ० / 76; दिनांक 19 जून, 1976

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (विधान क्रमांक 2 वर्ष 1915) की धारा 66 की प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा सभी जनजाति लोगों को जो बस्तर , सरगुजा मंडला' झाबुआ तथा राजगढ़ जिले के जशपुर तहसील में है को इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों से जहाँ तक वे देशी स्पिरिट के ब्रिवरी तथा डिस्टलेशन में सम्बन्धित है नीचे लिखी शर्तो के अधीन छूट प्रदान करती है अर्थात्-

(अ) देशी स्पिरिट का विनिर्माण घरेलू पान तथा सामाजिक तथा धार्मिक उत्सवों में पान तथा उपयोग प्रयोजन हेतु किया जायेगा;

(ब) ऐसी विनिर्मित देशी स्पिरिट विक्रय नहीं की जायेगी; और

(स) ऐसी विनिर्मित देशी स्पिरिट की अधिपत्य सीमा एक व्यक्ति के लिए 15 लीटर किन्तु अधिकतम एक हाउस होल्ड के लिए 5 लीटर तक रहेगी ।

स्पष्टीकरण- "हाउस होल्ड" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति समूह से होगा जो संयुक्त रूप से भोजन तथा निवास एक

घरेलू इकाई के सदस्य के रूप में करते हैं ।

MAP IT (MP Code)

www.code.mp.gov.in